

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क फर्द अहकाम

सुन 10/5/17 तारीख 29-8-17

उपनाम - जन्मकिसोर बमाल मटरु वगैरे
दादा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

कादी की ओर से श्री राजकुमार सिंह एडवोकेट ने
दादा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत चारा 188
RTI Act के अन्तर्गत पेश किया। जमा बन्दी व ज्ञापन पत्र
का अवलोकन किया गया। दादा दर्ज रेजिस्ट्रर कर
प्रतिपादी गणों के जरिये सम्मन से लौटा किया जाकर
दिनांक 8.9.17 को पेश हो।

4632-36
1-9-17

जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

8.9.17

कादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 1 ता. 4 की ओर से श्री
देवेन्द्र शर्मा ANW ने कक्षागत नारा पेश किया। वादपत्र
की गमल ग्राह नहीं लेने का एतराज दर्ज कराया। कादी
वकील को हिदायत की जाती है कि वादपत्र की गमल
प्रतिवादी वकील को उपलब्ध करवा। आगुना दिनांक
29.9.17 को पेश हो।

28.9.17



वकूलाय उप. प्रतिवादी वकील ने द. 07 R.11 CPC
पेश की। गमल दिलाई। कोले जबर द. फि 3.10.17
को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

105/17

जन्म किशोर १७३ मयूर संजय

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र	फर्द अहकाम	
13-10 13-11-17	<p>वादी एवं वादी वकील की ओरसे अर्चना पत्र मिलल तलबी एवं राजीनामा हो जौन से मुकदमा खारिज कराने पेश कलने पर मिलल तलब का पेश दुई वादी की ओरसे राजीनामा के आधार पर मुकदमा बली स्ट्रेज पर खारिज कराने पेश किये वादी एवं वादी वकीलने मुकदमा आगे चलाना नहीं चाहते हुए Not Press में खारिज कराने का कथन दिया अतः यह मुकदमा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमाट हो का नम्बर से कम हो कर दारिखल दफतर हो।</p>	 <p>जन्म किशोर Not Press टोडाभीम (सि. म. म. ट. लि. उ. क.)</p>
	 जगदीश आर्य उपजिला कलेक्टर टोडाभीम ✓	